



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 987/2019

- 1 - धर्मेन्द्र साहू पिता स्वर्गीय केजुराम साहू, 38 वर्ष, निवासी गुल्लू, पुलिस स्टेशन-आरंग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 2 - सुरुची @खिलेश्वरी साहू पति श्री अशोक साहू, 52 वर्ष, निवासी दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़, वर्तमान निवास रानी लक्ष्मी बाई चौक, निवासीलाबादी, दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
- 3 - चम्पेश्वरी पिता स्वर्गीय केजुराम साहू 50 वर्ष निवासी भरुवडीह, पुलिस थाना-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटपारा, छत्तीसगढ़
- 4 - चंद्रप्रभा पति श्री मनोज साहू 48 वर्ष निवासी अरन, पुलिस स्टेशन-राजिम, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़
- 5 - श्री भूषण साहू पति कमलेश्वरी साहू 46 वर्ष निवासी गुललु पुलिस स्टेशन-आरंग, निवासी-रायपुर, छत्तीसगढ़
6. नितू साहु @ अनीता साहू पिता श्री राजेश साहू, 44 वर्ष निवासी वी. आई. पी. नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

----अपीलकर्ता

बनाम

- 1 - बुधुराम निषाद पिता श्री राम लाल निषाद ,24 वर्ष, निवासी धोरभथा, पुलिस स्टेशन-पलारी, निवासी-बलौदाबाजार-भाटपारा, मोटरसाइकिल नं. सी. जी. 04 के ए 6026।
- 2 - मानूराम निषाद पिता श्री धेलूराम निषाद निवासी धौरभट्ट, पुलिस थाना-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटपारा, मोटरसाइकिल नं. सी. जी. 04 का 6026।

---उत्तरवादीगण

अपीलार्थियों हेतु :श्री विवेक भक्ता, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री गजेन्द्र चेलक, अधिवक्ता

एकल पीठ :माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश



पीठ पर आदेश

02/07/2025

1. यह अपील अपीलकर्ताओं द्वारा द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.) द्वारा एम.ए.सी.सी. क्रमांक 476/2015 में पारित दिनांक 16.01.2019 के अपने निर्णय में विद्वान दावा अधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि, दिनांक 09.09.2014 को लगभग 06:15 बजे, उत्तरवादी क्रमांक 1 अपनी मोटरसाइकिल संख्या सी. जी. 04 के. ए. 6026 को तेजी और लापरवाही से चला रहा था और उक्त वाहन ने बरुवाडीह के पास श्रीमती गीता बाई साहू को टक्कर मार दी और दुर्घटना का कारण बना। उक्त दुर्घटना में श्रीमती गीता बाई साहू को गंभीर चोटें आईं और उन्हें उपचार के लिए पल्लारी स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 322/2014, थाना पलारी, जिला-रायपुर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

3. विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दावा आवेदन में दावाकर्ता/अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि दुर्घटना की तिथि को मृतका श्रीमती गीता बाई साहू की आयु लगभग 58 वर्ष थी। अपने दिवंगत पति की मृत्यु के बाद उन्हें 8373/- रुपये की पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। मृतका श्रीमती गीता बाई साहू की मृत्यु के बाद, अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत 8,33,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

4. अनावेदक संख्या 1 एवं 2 ने दावा आवेदन में की गई तर्क का विरोध करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया और कहा कि, दावाकर्ता ने मृतक के अन्य आश्रितों को दावा आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि दुर्घटना की तिथि पर अनावेदक संख्या 1 ग्राम भरुवाडीह नहीं गया था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक संख्या 1 का नहीं था और यहां तक कि उक्त वाहन को अनावेदक संख्या 1 चला भी नहीं रहा था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि दावेदार किसी भी तरह से मृतक पर आश्रित नहीं हैं। 5. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर लाए गए तथ्यों और साक्ष्यों की साराहना करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक की मृत्यु उसके द्वारा उठाई गई मोटर दुर्घटना की चोटों का परिणाम थी, तथा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए अनावेदकों पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग दायित्व तय किया, तथा क्षतिपूर्ति के रूप में दावाकर्ता को 50,000/- रुपए की राशि प्रदान की।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने दावेदारों की माता श्रीमती गीता बाई साहू की मृत्यु पर केवल 50,000/- रुपये का क्षतिपूर्ति देने में त्रुटि की है। उन्होंने तर्क दिया कि दुर्घटना के समय, दावेदारों की मां 8,840 रुपये प्रति माह पेंशन ले रही थीं, जिस पर दावेदार भी आश्रित थे। विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि दावेदार मृतक की आय पर निर्भर नहीं थे, कुल



क्षतिपूर्ति के रूप में केवल 50,000/- रुपये का ही आदेश दिया है, जो गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक के बच्चे होने के नाते दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम बीरेंद्र एवं अन्य (2020) 11 एससीसी 356 के मामले में माना है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता के अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि दावाकर्ता/अपीलकर्ता संख्या 1 मुख्य कमाने वाला पुत्र होने के कारण और दावेदार संख्या 2 से 6 विवाहित पुत्रियां होने के कारण मृतक पर आश्रित नहीं थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता संख्या 1 का निवास भी अलग गाँव में है और मृतक भी अलग गाँव में रहता था, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता/दावाकर्ता संख्या 1 मृतक की आय पर निर्भर था। विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति न्यायसंगत और उचित है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. दावाकर्ता ने अपने दावा आवेदन में दलील दी है कि मृतक की आयु लगभग 50 वर्ष थी और वह 8,373/- रुपये मासिक कमाती थी तथा अपनी आय का दो-तिहाई हिस्सा दावेदारों पर खर्च करती थी। धर्मेन्द्र साहू (एडब्ल्यू-1), जो मृतक का पुत्र है, ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि उसकी माँ को 8,814/- रुपये पेंशन मिलती थी, जिसे वह अपनी माँ पर खर्च करती थी और साथ ही अपने घर का खर्च भी वहन करती थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह भरवाडीह में रहता है और उसने गुल्लू गाँव में अपने निवास का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। तर्क के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 मृतक की विवाहित पुत्रियाँ हैं।

10. दावा मामले के अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि दावा आवेदन में की गई दलीलों के अनुसार, दावाकर्ता की मृतक माँ को प्रति माह 8,373 रुपये की पारिवारिक पेंशन राशि मिल रही थी। दावा आवेदन में निवेदन के अनुसार उनकी आयु लगभग 56 वर्ष थी। विद्वान दावा अधिकरण ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक की आयु 63 वर्ष आंकी है; मृतक की आयु का कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण नहीं है तथा इसलिए, इस न्यायालय की राय में, ज्ञात दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु का आकलन करने में न्यायसंगत ठहराया जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

11. दावेदार/आवेदक प्रमुख विवाहित पुत्र तथा पुत्रियाँ हैं। विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष धर्मेन्द्र

साहू/दावाकर्ता क्रमांक 1 की एडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षा हुई और अपने साक्ष्य में उन्होंने बताया कि वे सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और दूसरे गाँव में रहते हैं। दावाकर्ता क्रमांक 1 के उपर्युक्त साक्ष्य से यह



प्रतीत होता है कि वे एक सरकारी कर्मचारी हैं और सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में कार्यरत हैं, इसलिए उनकी अपनी आय होगी

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बीरेंद्र सिंह एवं अन्य (2020) 11 एससीसी 356 के मामले में बालिग पुत्रों द्वारा दायर दावे पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है:-

14. अब यह निर्धारित हो चुका है कि मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ऐसा कहने के बाद, यह आवश्यक रूप से अनुसरण करना चाहिए कि मृतक के वयस्क विवाहित और कमाऊ पुत्रों को भी विधिक प्रतिनिधि होने के नाते क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार है और न्यायाधिकरण का यह बाध्यकारी कर्तव्य होगा कि वह इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना आवेदन पर विचार करे कि संबंधित विधिक प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर था या नहीं और दावे को केवल पारंपरिक मदों तक ही सीमित नहीं करना था। वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि दावाकर्ता संविदा के आधार पर कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और प्रति वर्ष 1,00,000 से 1,50,000 रुपये के बीच मामूली आय अर्जित कर रहे थे। इस अर्थ में, वे काफी हद तक अपनी मां की कमाई पर निर्भर थे और वास्तव में, उनके साथ रह रहे थे, जो 48 वर्ष की छोटी उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गयी थी।”

13. सीमा रानी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के मामले में, सिविल अपील संख्या 2323/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 444/2025 से उत्पन्न) में दिनांक 11.02.2025 को निर्णीत, निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-----

10.इसी प्रकार, बीरेंद्र (सुप्रा) में दिए गए स्पष्टीकरण को लागू करते हुए, विवाहित पुत्री को क्षतिपूर्ति से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय ने इन आश्रितों को वंचित करने में गलती की।”

14. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7199/2025 (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 27779/2023 से उत्पन्न) में दर्ज जितेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम संजय प्रसाद एवं अन्य के मामले में स्वतंत्र आय वाले बालिग पुत्रों द्वारा दायर दावे पर विचार करते हुए, बीरेंद्र सिंह (सुप्रा) और सीमा रानी (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"14. वर्तमान मामले में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि दावाकर्ता-अपीलकर्ता मृतक द्वारा संचालित कंसल्टेंसी फर्म में भागीदार बन गए थे। इसके अलावा, इस बात पर भी विवाद नहीं है कि मृतक द्वारा संचालित आटा मिल अभी भी दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा संचालित की जा रही है। ऐसी तथ्यात्मक परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि दावेदार-अपीलकर्ता मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर थे।



15. अतः, उपर्युक्त के तहत, जबकि दावाकर्ता-अपीलकर्ता मृतक पर आश्रित नहीं थे, वे कानून के अनुसार, उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में क्षतिपूर्ति पाने के हकदार हैं इस प्रकार, व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय की हानि के लिए कटौती कानून के अनुसार ½ (मृतक की आय का 50%) होगी।”

15. जितेंद्र कुमार (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी कि दावेदार उसके मृत पिता द्वारा संचालित आटा मिल में साझेदार थे, दावाकर्ता/अपीलकर्ता मृतक पर आश्रित नहीं थे, यह माना कि वे विधिक के अनुसार उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में क्षतिपूर्ति पाने के हकदार हैं।

16. इस मामले में भी, दावाकर्तागण को मृतक की आय पर निर्भर नहीं कहा जा सकता, हालाँकि, वे मृतक के कानूनी प्रतिनिधि हैं क्योंकि उनके पुत्र और पुत्रियाँ हैं और इसलिए, 8,373/- रुपये प्रति माह की पेंशन राशि को मृतक की आय और उसकी वार्षिक आय 1,00,476/- रुपये मानी जाएगी।यह मानते हुए कि मृतका की आयु लगभग 63 वर्ष थी, वह अपनी आय का 75% अपने व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्ययों पर खर्च कर रही होगी और मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्ययों पर 75% की कटौती करने पर, आय की हानि 25,119/- रुपये (1,00,476 – 75,357) होगी।चूंकि मृतक की आयु 63 वर्ष थी, इसलिए उपयुक्त गुणक 7 होगा, जिससे आय की कुल हानि 1,75,833/- रुपये (25,119 X 7) होगी।दावाकर्ता को संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये और माता-पिता के संघ के नुकसान के लिए 40,000 रुपये प्रत्येक के लिए हकदार होंगे, जैसा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680 में रिपोर्ट किया गया और सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम, (2009) 6 एससीसी 121 में रिपोर्ट किया गया मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार है।

17.उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं को देय क्षतिपूर्ति की राशि की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करता है:---

सरल क्रमांक	शीर्ष		क्षतिपूर्ति
1	(A) आय/आश्रितता की हानि $8373 \times 12 = 1,00,476/-$ (B) व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए 75% की कटौती $(1,00,476 \times 75\% = 75,357)$ $(1,00,476 - 75,357)$	:	रु. 1,75,833 -



	= 25,119/-) (□) 7 का गुणक (25,119 * 7 = 1,75,833/-)		
2.	अंतिम संस्कार का खर्च	:	(+) रु. 15, 000/-
3.	संपत्ति का नुकसान	:	(+) रु. 15, 000/-
4	दावेदार/अपीलार्थियों को माता-पिता के संघ का नुकसान @रु। 40, 000/- प्रत्येक (40,000 x 6)	:	(+) रु. 2,40,000 -
	कुल क्षतिपूर्ति		रु. 4,45,833 -

18. अब, अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता को विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 50,000/- रुपये के स्थान पर कुल 4,45,833/- रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाता है।क्षतिपूर्ति की यह बड़ी हुई राशि दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से लेकर उसकी वसूली तक 8% की दर से ब्याज सहित देय होगी।सभी दावाकर्ता इस प्रकार दिए गए क्षतिपूर्ति में अपने समान हिस्से के हकदार होंगे।आक्षेपित निर्णय में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

19. नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि।

सही/-
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

